न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

अपील संख्या 308/14 तारीख रजू– 21/10/14

1– कन्हैया पुत्र चन्दरा जाति बैरवा निवासी गिरधरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा।
2– कल्याणी बाई पुत्री चन्दरा पत्नि केसरलाल जाति बैरवा निवासी शिवाड तह.चौथ का बरवाडा।
3– कस्तूरी बाई पत्नि केसरलाल जाति बैरवा जाति बैरवा निवासी शिवाड तह. चौथ का बरवाडा।
4– [illegible] बाई पुत्री चन्दरा पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी इन्दौर(म.प्र.)।
5– [illegible] बाई पुत्री चन्दरा पत्नि किशोर जाति बैरवा निवासी इन्दौन(म.प्र.)।

———— अपीलार्थीगण

बनाम

1– [illegible] लाल पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी गिरधरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी गली नम्बर–5 किशनपुरा उज्जैन(म.प्र.)।
2– सरकार जरिये तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।

—————— रेस्पोण्डेण्टस

——————

निर्णय दिनांक–30/07/2015.

अपीलार्थीगण ने यह अपील नायब तहसीलदार,सवाईमाधोपुर द्वारा ग्राम गिरधरपुरा मे स्थित [illegible] की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 के पिता मन्ना के नाम कर नामान्तरकरण संख्या 210 जो दिनांक 08/07/75 को स्वीकृत किया गया है से व्यथित होकर पेश की है तथा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर नामान्तरकरण मे से 1/2 भूमि का हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलान्टस को घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई व अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से श्री [illegible] शर्मा एडवोकेट व रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर अवगत कराया कि अपीलाण्टस मृतक चन्दरा के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक मन्ना का पुत्र है। मन्ना चन्दरा का भाई है व जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 मे कालम नम्बर 16 मे चन्दरा का वारिस [illegible] होने का इन्द्राज है परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलाण्टस के चाचा मन्ना के नाम बिना [illegible] किये हुए व बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर यह भी अवगत कराया कि रेस्पो0 ने अपील के मद [illegible] मे अंकित सजरा खानदान का खण्डन भी नही किया है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर यह भी अवगत कराया कि रेस्पो0 संख्या 1 का पिता चालाक किस्म का व्यक्ति था उसने मृतक चन्दरा के विधिक वारीसान की जॉच भी नही होने दी इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर भूमि के 1/2 हिस्से की हद तक मृतक चन्दरा के विधिक वारिसान के नाम दर्ज की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे तर्क दिया कि 08/07/75 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की अपील 40 वर्ष पश्चात पेश की है व सेक्शन 5 मियाद नियम मे अपील मियाद [illegible] करने का कोई उचित कारण नही बताया है। अतः अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

<u>अपील संख्या 308/14 कन्हैयालाल बनाम चतरूलाल</u>

[illegible] ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाण्टस को चन्दरा की मृत्यु के बाद उसके वारीसान का घोषणा [illegible] प्रस्तुत करना चाहिये था तथा रेस्पो0का 12 वर्षो से भी अधिक से भूमि पर कब्जा होने से [illegible] अपीलाण्टस के विरूद्व एडवर्स पजेशन हो गया है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे यह भी [illegible] दिया कि चन्दरा ला–ओलाद फोत हुआ है वकील अपीलाण्टस ने चन्दरा के संतान होने का [illegible] सबूत पेश नही किया है केवल सजरा बनाकर पेश किया है जो बिना दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के [illegible] मान्य नही है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि पर [illegible] का ही कब्जा काश्त है अपीलाण्टस का कोई कब्जा काश्त नही है तथा कब्जा काश्त होने [illegible] अपीलाण्टस ने कोई लगान जमा कराने की रसीद पेश नही की है। नामान्तरकरण एक समरी [illegible] है जिससे किसी को कोई अधिकार नही दिये जा सकते इससे केवल यह जानकारी मिलती है [illegible] भूमि को कोन जोतेगा व लगान कोन देगा। नामान्तकरण से किसी के अधिकार निर्णीत नही [illegible] जा सकते। अधिकारो का निर्धारण कराने हेतु प्रोपर कोर्ट मे साक्ष्य प्रस्तुत करनी पडेगी। [illegible] मातहत का निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलाण्टस खारिज की जाकर अदालत मातहत [illegible] यथावत रखा जावें।

[illegible] वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन [illegible] यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी ने मियाद कानून की धारा 5 के आवेदन पत्र मे [illegible]/14 को नामान्तरकरण की जानकारी होना बताया है। इस बारे मे उन्होने कोई प्रमाण नही [illegible] है लेकिन नामान्तरकरण के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नही है कि नामान्तरकरण किसके [illegible] पर खोला है। अतः अपीलार्थी को इस संदेह का लाभ देते हुए अपील मियाद अन्दर होना [illegible] की जाती है। बिना ठोस आधार के मियाद कानून की धारा 5 का प्रार्थनापत्र निरस्त करना [illegible] नही है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का ने [illegible] नम्बर 16 मे यह रिपोर्ट अंकित की है कि चन्द्रा फोत हो गया है अतः चन्दरा के भाई मन्ना [illegible] नामान्तरकरण भरकर वास्ते जॉच पेश हो इस पर अदालत मातहत ने चन्द्रा के वारीसान के [illegible] गिरदावर से अथवा किसी से क्या जॉच करवायी है कोई उल्लेख नही है। इसके अतिरिक्त [illegible] अपीलाण्टस ने चन्द्रा के वारीसान को जो सजरा मीमो अपील मे पेश किया है उसका भी [illegible] विरोध वकील रेस्पो0 ने नही किया है। अतः उपरोक्त विवेचन से अदालत मातहत द्वारा मृतक [illegible] के वारीसान की बिना जॉच किये हुए नामान्तरकरण खोला जाना प्रतीत होता है जिसकी जॉच [illegible] जाना उचित है

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक [illegible]/75 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को चन्दरा के वारीसान के बाबत सुनवाई सबूत [illegible] समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही [illegible]

निर्णय आज दिनांक 30/07/2015 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर